TENDER FORM

MUNICIPAL BOARD RAMNAGAR ...

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

e-mail:-eonagarpalikaramnagar@gmail.com Web : www.nagarpalikaramnagar

पत्रांक – 1290 / 03–सा0नि0अनु0 / निविदा / 2026–27 दिनांक –26 मई,2026

निविदा के नियम एवं शर्ते

नगरपालिका परिषद्, रामनगर में वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पंजीकृत सिविल निर्माण ठेकेदारों से प्रकाशित निविदा सूचना में निर्धारित की–डेट्स के अनुसार निम्न कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है–

क0 सं0	निर्माण कार्य का नाम	ऑगणन राशि	धरोहर राशि 2% (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+GST18% (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा वैद्यता अवधि	श्रेणी ठेकेदार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पालिका परिषद, रामनगर स्थित पूछड़ी में ट्रचिंग ग्राउण्ड की चाहर दीवारी का निर्माण कार्य	7939235.48	158785.0	4000+720	05 माह	45 दिवस	ए

1. निविदाएं नगरपालिका परिषद्, रामनगर में वर्ष 2026–27 हेतु कॉलम नं0 08 में उल्लिखित निर्धारित श्रेणी के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों जिन्हें नगरपालिका परिषद्, रामनगर में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रकाशित निविदा सूचना में निर्धारित की–डेट्स के अनुसार ई–निविदा प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. निविदा प्रपत्र मूल्य का भुगतान कॉलम सं0 05 के अनुसार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, रामनगर के पदनाम से बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट / नगद भुगतान कर किया जा सकेगा तथा वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ ही निर्धारित की–डेट्स के अनुसार हार्डकॉपी / मूलप्रति निर्माण अनुभाग में जमा की जानी होगी। निविदा प्रपत्र मूल्य का भुगतान न करने वाले ठेकेदार / फर्म की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता को कार्य के सापेक्ष कॉलम सं0 04 के अनुसार 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि की एफडीआर / सीडीआर / एनएससी / टीडीआर जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् रामनगर के पदनाम से बन्धक हो की प्रति वेबसाईट में अपलोड करने के साथ ही निर्धारित की–डेट्स के अनुसार निर्माण अनुभाग में जमा करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी प्रकार की सशर्त / अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर उक्त के साथ संलग्न धरोहर धनराशि पालिका पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदा की दरें मदवार पृथक–पृथक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंको / स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेंगी।
7. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैर न्यायिक ई–स्टाम्प में रु0 1.00 मूल्य का रसीदी टिकट स्वः हस्ताक्षरित कर वेबसाईट में अपलोड करने की साथ ही निर्धारित की–डेट्स के अनुसार निर्माण अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि 06 माह से अधिक पुराना न हो अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. निविदा प्रपत्र की वैद्यता अवधि 45 दिवस होगी।
9. सफल निविदादाता द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर लिखित संविदा न करने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद् रामनगर
जिला नैनीताल

10. सफल निविदादाता को स्वीकृत कार्य को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के निर्देशों पर निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। यदि ठेकेदार उक्त समयावधि ठेकेदार कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो नगरपालिका को यह अधिकार होगा कि कार्य के सापेक्ष जमा धरोहर धनराशि पालिका के पक्ष में जब्त कर ले और शेष कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवा ले अथवा स्वयं कर ले।

11. सम्पादित कार्य के बिल के भुगतान से पूर्व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद्, रामनगर के पदनाम से बन्धक बिल की राशि के 10 प्रतिशत धनराशि का एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर/एनएससी जमानत धनराशि के सापेक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें धरोहर धनराशि एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर/एनएससी भी सम्मिलित की जा सकेगी। बिलों के भुगतान में से आयकर, जीएसटी टीडीएस, लेबर सैस, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।

12. निर्माण कार्य मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय मे जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।

13. कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि समाप्त होने तक भी, कार्य प्रारम्भ न करने पर ठेकेदार/निविदादाता द्वारा जमा **5 प्रतिशत धनराशि की कार्य पूर्ति प्रतिभूति एवं संविदा के मूल्य का 5 प्रतिशत धनराशि की प्रतिभूति निक्षेप की धनराशि** जब्त कर ली जायेगी। तथा अन्य एजेंसी से कार्य कराये जाने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। पुनः आमंत्रित निविदाओं से प्राप्त दरें यदि पूर्व स्वीकृत निविदा दरों से अधिक आती है, तो अन्तर की धनराशि **(पूर्व स्वीकृत निविदा दरों एवं पुनः आमंत्रित निविदा दरों के अन्तर की धनराशि)** की वसूली ठेकेदार/निविदादाता से की जाएगी। Defect Liability Period 1 वर्ष होगी।

14. ठेकेदार कार्य को कॉलम नं0 06 के अनुसार दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा उससे अधिक लागत के समस्त निर्माण कार्यों मे विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

15. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

16. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने (जिससे कार्य की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो) की दशा मे G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।

17. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार जमानत धनराशि की एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर/एनएससी वापिस लौटा दी जायेगी।

18. धनराशि के अभाव मे ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

19. नगरपालिका परिषद्, रामनगर को अधिकार होगा कि वह अनुमान में दिये गये कार्य के किसी भाग का अथवा कुल कार्य निरस्त कर दे। ऐसी दशा में ठेकेदार किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार से स्थल पर कोई ऐसा कार्य कराया जाता है जिसके रेट टैण्डर में नहीं है तो उसका भुगतान लोक निर्माण विभाग के शैड्यूल पर उतना प्रतिशत कम/अधिक लगाकर टैण्डर देते समय की प्रचलित दरों पर कर दिया जायेगा। जितना कि कम या अधिक प्रतिशत का उक्त कार्य का टैण्डर होगा किसी भी आइटम की मात्रा में कमी या वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार नगरपालिका परिषद्, रामनगर को हर समय होगा। परन्तु कार्य की धनराशि में आंगणन दर से अधिकतम 15 प्रतिशत तक की वृद्धि ही मान्य होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद् रामनगर
जिला नैनीताल

20. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह नगरपालिका के संज्ञान में उसकी सूचना दे। यदि ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जाती है और कार्य में विलम्ब होता है, तो यह माना जायेगा कि ठेकेदार द्वारा जानबूझकर कार्य में विलम्ब किया गया है तथा निर्धारित अर्थदण्ड की कटौती भुगतान के समय बिल से कर ली जायेगी। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगरपालिका को सूचित किया जायेगा।

21. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड्ढों आदि को भरेगा।

22. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगरपालिका परिषद्, रामनगर किसी भी रूप मे जिम्मेदार नहीं होगी।

23. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 01 माह तक अवर अभियन्ता, नगरपालिका परिषद्, रामनगर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 01 माह से अधिक का समय नगरपालिका परिषद्, रामनगर को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।

24. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगरपालिका परिषद्, रामनगर को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार का पंजीकरण आगामी 03 (तीन) वित्तीय वर्षो के लिए निलम्बित कर दें। पंजीकरण निलम्बन की अवधि में सम्बन्धित ठेकेदार नगरपालिका परिषद्, रामनगर में किसी भी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

25. ठेकेदार को कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ जिसमें अवर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अवर अभियन्ता/सभासद की फोटो हो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

26. ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त निर्माण सामग्री का सैम्पल किसी भी समय नगरपालिका परिषद्, रामनगर के अधिकारियों द्वारा लेकर जॉच हेतु अधिकृत लैब्रोरेटरी भेजा जायेगा, जिसका व्यय आंगणन में प्रावधानित 2 प्रतिशत धनराशि में से वहन किया जायेगा तथा अधिक व्यय होने की स्थिति में अधिक व्यय धनराशि की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।

27. दोनों पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

28. निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि अथवा निविदा आमंत्रण की तिथि अथवा निविदा खोले जाने की तिथि को उत्तराखण्ड सरकार/शासन/जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित कर दिये जाने की स्थिति में निविदा विक्रय एवं आमंत्रण की तिथि उसी अनुसार अगले कार्य दिवस में मानी जायेगी।

29. किसी भी एक निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार पालिका प्रशासन को होगा।

निर्धारित की–डेट्स

S.No.	Schedule/Information	Date	Time
1-	ऑनलाईन प्रकाशन की तिथि	27-05-2026	11.00 AM
2-	निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने की तिथि	28-05-2026	11.00 PM
3-	निविदा जमा करना प्रारम्भ करने की तिथि	28-05-2026	01.00 PM
4-	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	15-06-2026	05.00 PM
5-	निविदा में वांछित अभिलेखों की हार्डकॉपी/मूलप्रति जमा करने की तिथि	15-06-2026	05.00 PM

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद् रामनगर
जिला नैनीताल

6-	निविदा खोलने की तिथि	16-06-2026	01.00 PM

तकनीकी निविदा अर्ह करने के लिए निविदादाता को निम्नानुसार वांछित अभिलेखों की क्रमानुसार स्पष्ट एवं पठनीय सॉफ्ट कॉपी Single PDF में वेबसाईट में अपलोड करनी अनिवार्य है, जिसमें से किसी भी एक अभिलेख के न होने की स्थिति में अथवा अस्पष्ट एवं अपठनीय अभिलेख पाये जाने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता तकनीकि निविदा में अनर्ह माना जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा–

क्रम सं0	अभिलेखों का विवरण
1.	कार्यपूर्ति धरोहर धनराशि का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रामनगर के नाम बन्धक एफडीआर
2.	निविदा शुल्क की रशीद
3.	निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् का रसीदी टिकट युक्त स्वहस्ताक्षरित मु0 100 रू0 (एक सौ) का नॉन जूडिशियल ई–स्टॉप पेपर।
4.	वांछित निविदा पूर्ण व स्पष्ट भरी हुई (मदवार अंकित दरों सहित)
5.	निविदा प्रकाशन की तिथि से पश्चात का उत्तराखण्ड राज्य में जीएसटी विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र (No Due Certificate)
6.	केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम में ब्लैकलिस्ट ना होने सम्बन्धित शपथपत्र

तकनीकी निविदा के साथ उक्तानुसार अभिलेखों में निम्न विवरण के अनुसार अभिलेख हार्डकॉपी (मूलरूप में) सीलबन्द लिफाफे में नगरपालिका परिषद्, रामनगर में निर्धारित की–डेट्स के अनुसार जमा करने अनिवार्य है, अन्यथा तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी–

क्रम सं0	अभिलेखों का विवरण
1.	कार्यपूर्ति धरोहर धनराशिं का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रामनगर के नाम बन्धक एफडीआर
2.	निविदा शुल्क की रशीद
3.	निविदा प्रकाशन की तिथि के पश्चात् का रसीदी टिकट युक्त स्वहस्ताक्षरित मु0 100/–रू0 (सौ रूपया) का नॉन जूडिशियल ई–स्टॉप पेपर
4.	वांछित निविदा पूर्ण व स्पष्ट भरी हुई (मदवार अंकित दरों सहित)
5.	निविदा प्रकाशन की तिथि से पश्चात का उत्तराखण्ड राज्य में जीएसटी विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र (No Due Certificate)
6.	केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम में ब्लैकलिस्ट ना होने सम्बन्धित शपथपत्र

(आलोक उनियाल)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद् रामनगर
(नैनीताल)

(मो0 अकरम)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद् रामनगर
(नैनीताल)